न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)
पीठासीन अधिकारीः श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 22/2023

बउनवान

1. मोतीलाल पुत्र बालाराम जाति धाकड निवासी कुटकिया तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा राज०
2. राधाबाई पत्नी बालाराम जाति धाकड निवासी कुटकिया
3. चेनाराम पुत्र बालाराम जाति धाकड निवासी कुटकिया
4. रमेशचन्द्र पुत्र बालाराम जाति धाकड निवासी कुटकिया
5. ललताबाई पुत्री बालाराम जाति धाकड निवासी कुटकिया
6. प्रहलाद पुत्र बापूलाल जाति धाकड निवासी कुटकिया
7. प्रेम पुत्र बापूलाल जाति धाकड निवासी कुटकिया
8. पृथ्वीराज पुत्र बापूलाल जाति धाकड निवासी कुटकिया
9. फूलांबाई पुत्री बापूलाल जाति धाकड निवासी कुटकिया
10. रूपाबाई पुत्री बापूलाल जाति धाकड निवासी कुटकिया तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा राज.

(अपीलांटगण)

बनाम

1. लालचंद पुत्र काना
2. लटूरचंद पुत्र काना
3. भैरूलाल (मृतक) पुत्र काना
3/1. मुकेश पुत्र भैरूलाल
3/2. संतरा पुत्री भैरूलाल
3/3. संतोश पुत्री भैरूलाल
3/4. कांति बाई बेवा भैरूलाल
4. पांचीबाई पुत्री काना.
5. कस्तूरीबाई पुत्री काना
6. प्रेमबाई पुत्री काना जातियान धाकड निवासीगण रामगंजमण्डी जिला कोटा राज०
7. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार बारां

(रेंस्पोडेंट्स)

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 28.04.2023 प्र. सं. 2/2023 कार्यवाही अन्तर्गत धारा 135(2) भू राजस्व अधिनियम 1956 न्यायालय तहसीलदार बारां

प्रकरण संख्या 23/2023

बउनवान

1. मोतीलाल पुत्र बालाराम जाति धाकड निवासी कुटकिया तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा राज०
2. राधाबाई पत्नी बालाराम जाति धाकड निवासी कुटकिया
3. चेनाराम पुत्र बालाराम जाति धाकड निवासी कुटकिया
4. रमेशचन्द्र पुत्र बालाराम जाति धाकड निवासी कुटकिया
5. ललताबाई पुत्री बालाराम जाति धाकड निवासी कुटकिया
6. प्रहलाद पुत्र बापूलाल जाति धाकड निवासी कुटकिया
7. प्रेम पुत्र बापूलाल जाति धाकड निवासी कुटकिया
8. पृथ्वीराज पुत्र बापूलाल जाति धाकड निवासी कुटकिया
9. फूलांबाई पुत्री बापूलाल जाति धाकड निवासी कुटकिया
10. रूपाबाई पुत्री बापूलाल जाति धाकड निवासी कुटकिया तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा राज.

(अपीलांटगण)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.02.06 11:04:13 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

बनाम

1. लालचंद पुत्र काना
2. लटूरचंद पुत्र काना
3. भैरूलाल (मृतक) पुत्र काना
3/1. मुकेश पुत्र भैरूलाल
3/2. संतरा पुत्री भैरूलाल
3/3. संतोश पुत्री भैरूलाल
3/4. कांति बाई बेवा भैरूलाल
4. पांचीबाई पुत्री काना.
5. कस्तूरीबाई पुत्री काना
6. प्रेमबाई पुत्री काना जातियान धाकड निवासीगण रामगंजमण्डी जिला कोटा राज०
7. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार बारां

(रेंस्पोडेंट्स)

अपील विरूद्ध इंतकाल संख्या 1293 दिनांक 13.05.2023 न्यायालय तहसीलदार बारां

उपस्थिति :— 1. श्री ओम भारद्वाज एडवोकेट (अपीलांटगण)
2. श्री हरिओम चर्तुवेदी एडवोकेट (रेस्पोडेन्ट्स)

निर्णय दिनांक 16.12.2024

उक्त दोनों अपीलों में समान विषयवस्तु एवं समान पक्षकारान होने से दोनों प्रकरणों में एक ही निर्णय पारित किया जाकर दोनों प्रकरणों में मूल निर्णय की प्रति संलग्न की गई है।

अपीलांटगण की ओर से जयें अभिभाषक प्रस्तुत अपीलस् संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28—4—2023 न्याय, कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो के सर्वथा विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांटगण में से अपीलांट कम 1 मोतीलाल पुत्र बालाराम जाति धाकड निवासी कुटकिया द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिनांक 15—9—2022 को अधिनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत किया जिसमे कस्बा बारां की आराजी खसरा नम्बर 12 रकबा 0.65 हेक्टे० खसरा नं0 20 रकबा 0.44 हेक्टे० खसरा नं0 30 रकबा 0.23 हेक्टे० कुल 3 किता कुल रकबा 1.32 हेक्टे० के खातेदार काना पुत्र रामनाथ, सोमतिया पुत्र रामनाथ, थे जिसमे खातेदार मृतक काना का देहान्त दिनांक 28—9—1981 तथा सोमतिया पुत्र रामनाथ का देहान्त दिनांक 8—2—1984 को हो जाने के कारण नामान्तकरण खोलने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 15—9—2022 को मृतक खातेदारो की वारिसान जांच करने के लिये तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा को मूल प्रार्थना पत्र के पृष्ठ भाग पर अंकन कर भिजवा दिया जिस पर अपीलांटगण के प्रार्थना पत्र पर वारिसान जांच पटवार मण्डल पीपाखेडी से जांच तथा एक अन्य जांच पटवार मण्डल गोरधनपुरा से प्राप्त हुई उक्त जांच दिनांक 24—6—2022 को दोनो पटवार मण्डल की संयुक्त जांच रिपोर्ट दिनांक 24—6—2022 को प्राप्त हुई तथा दिनांक 15—11—2022 को पटवार मण्डल पीपाखेडी की जांच रिपोर्ट मे स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया कि कस्बा बारां की आराजी के फोती नामान्तकरण के लिये दो अलग अलग आवेदन प्राप्त हुये है तथा उनका सत्यापन पटवारी स्तर पर किया जाना संभव नही है दोनो आवेदनो मे से कोनसा सत्य है मृतक खातेदारो के अलग अलग वारिसान होने से विरोधाभास होने के कारण विधिक वारिसान की जांच मे त्रुटि होने की संभावना को देखते हुये तथा पूर्व मे दी गई रिपोर्ट को संलग्न कर जांच प्रस्तुत की उक्त रिपोर्ट आने के बावजूद भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त प्रकरण का निस्तारण कर विवादित आराजियात को स्वीकृत के नामान्तकरण करने का आदेश पारित करने में गंभीर कानूनी त्रुटि की है जो विधि के प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त प्रकरण को सन 2023 मे दर्ज किया गया जबकि तहसील रामगंजमण्डी के पटवार हल्का पीपाखेडी तथा पटवार हल्का गोरधनपुरा की रिपोर्ट दिनांक 24—6—2022

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.02.06 11:04:13 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

तथा दिनांक 15–11–2022 को ही दी जा चुकी थी बिना प्रकरण दर्ज किये किस आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तहसील रामगंजमण्डी से रिपोर्ट तलब की गई अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गंभीर प्रक्रियात्मक त्रुटि उपरोक्त प्रकरण में की गई है इस कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय प्रक्रियात्मक विधि के प्रतिकूल होने केकारन निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जारी आदेशिकाओ मे प्रकरण दिनांक 3–1–2023 को अपीलांट को गवाह साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी कर दिनांक 11–1–2023 को तलब किया गया तथा दिनांक 11–1–2023 को द्वितिय पक्ष को नोटिस जारी कर दिनांक 17–1–2023 को तलब किया तथा उसी दिन रेस्पोडेन्टगण से शपथ पत्र बतौर साक्ष्य पेश करवाकर दिनांक 7–2–2023 को पुनः प्रथम पक्ष को नोटिस जारी कर दिनांक 22–2–2023 को उपस्थित होने हेतु जारी किये तथा दिनांक 20–3–2023 को अखबार साया से नोटिस जारी करने तथा दिनांक 10–4–2023 को कोई आपत्ति नही आने की आदेशिका लिखकर दिनांक 28–4–2023 को उपरोक्त प्रकरण का निस्तारण विधि विरूद्ध तरीके से किया गया जो विधि के प्रतिपादित सिद्धान्तो के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। उपरोक्त प्रकरण मे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान भूराजस्व प्रावधानो के विपरीत जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जबकि पत्रावली पर स्पष्ट रूप से तहसील रामगंजमण्डी के दोनो पटवार हल्को की रिपोर्ट मे वारिसान के विरोधाभास होने का अंकन होने के बावजूद प्रकरण को घोषणा के दावे मे निर्णित करने के लिये सक्षम न्यायालय मे भेजने के बजाय स्वयं ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर निर्णय पारित किया है। मात्र रेस्पोडेन्टगण के शपथ पत्रो के आधार पर मृतक खातेदारो के देहान्त के लगभग 40–50 वर्ष बाद रेस्पो. का प्रार्थना पत्र बिना किसी गुणावगुण की टिप्पणी के स्वीकार कर लिया गया जिससे अपीलांटगण के साम्पत्तिक अधिकारो पर कुठाराघात हुआ है तथा उक्त निर्णय मे रेस्पोडेन्टगण को किस आधार पर मृतक खातेदारो का वारिसान माना गया इसका कहीं कोई अंकन नही किया गया इस कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्ध होने तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज करने के उपरांत व्यवहार प्रकिया संहिता में वर्णित सम्मन के तामील के तरीको को नजरअदांज कर मनमाने तरीके से तामील जारी कर अप्रत्याशित शीघ्रता दिखाते हुये प्रकरण का निस्तारण किया हे। विधी का यह सुस्थापित सिद्धान्त हे कि न्यायालय द्वारा जारी तामील पहले तामिल कुनिन्दा से उसके उपरांत रजिस्टर्ड डाक से तथा उसके बाद राजकीय समाचार पत्रो मे अखबार साया के माध्यम से तामिल करवाई जाती है परन्तु उक्त प्रकरण मे ऐसा न कर मात्र रेस्पोडेन्टगण द्वारा दिये गये शपथपत्रो तथा अखबार साया की तामिल की आड में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है जबकि उक्त नियमानुसार तरीका अपनाया जाकर तथा वारिसान मे विरोधाभास को सक्षम न्यायालय से तय करवाने के उपरांत उपरोक्त प्रकरण का निस्तारण किया जाना चाहिये था ऐसा न कर अधिनस्थ न्यायालय ने मनमाना विधि विरूद्ध व रेस्पो. से सांठगांठ कर अपीलाधीन निर्णय पारित कर उक्त निर्णय के आधार पर नामान्तकरण संख्या 1293 दिनांक 13–5–2023 न्याय कानून एवं तथ्यो के सर्वथा विपरीत खोलकर तस्दीक कर दिया। अतः अपीलस् अपीलांटगण स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 28–4–2023 तथा इसके आधार पर खोला जाकर तस्दीक किया गया नामान्तकरण संख्या 1293 दिनांक 13–5–2023 निरस्त फरमाये जाकर प्रकरण को अधिनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जावे कि वह अपीलांटगण व रेस्पो० उपरोक्त आराजी मे अपने हक की घोषणा का वाद सक्षम न्यायालय से तय करने के उपरांत ही उपरोक्त विवादित आराजियात का नामान्तरण तस्दीक फरमाया जावे।

अपीलस् पेश होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट्स जर्ये अभिभाषक उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड प्राप्त होने पर हमने प्रकरण बहस हेतु नियत किया।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा [illegible] प्रार्थना पत्र दिनांक 15–9–2022 को मृतक खातेदारो की वारिसान जांच करने के लिये त[illegible]गंजमण्डी जिला कोटा को मूल प्रार्थना पत्र के पृष्ठ भाग पर अंकन कर भिजवा दिया [illegible] के प्रार्थना पत्र पर वारिसान जांच पटवार मण्डल पीपाखेडी से तथा एक [illegible] जांच पटवार [illegible] गोरधनपुरा से प्राप्त हुई उक्त जांच दिनांक 24–6–2022 को दोनो पटवार [illegible] दिनांक 24–6–2022 को प्राप्त हुई तथा दिनांक 15–11–2022 को पटवार [illegible] जांच रिपोर्ट मे स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.02.06 11:04:13 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

तथा कि कस्बा बारां की आराजी के फोती नामान्तकरण के लिये दो अलग अलग आवेदन प्राप्त हुये है तथा उनका सत्यापन पटवारी स्तर पर किया जाना संभव नही है दोनो आवेदनो मे से कोनसा सत्य है मृतक खातेदारो के अलग अलग वारिसान होने से विरोधाभास होने के कारण विधिक वारिसान की जांच मे त्रुटि होने की आशंका की टिप्पणी करते हुये तथा पूर्व मे दी गई रिपोर्ट को सलंग्न कर जांच प्रस्तुत की उक्त रिपोर्ट आने के बावजूद भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त प्रकरण का निस्तारण कर विवादित आराजियात को रेस्पो० के नाम दर्ज करने का आदेश पारित करने में तथा पारित आदेश के आधार पर नामान्तकरण दर्ज करने में गंभीर कानूनी त्रुटि की है जो विधि के प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य होने से निरस्त फरमाये जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जावे कि वह अपीलांटगण व रेस्पो० उपरोक्त आराजी मे अपने हक की घोषणा का वाद सक्षम न्यायालय से तय करने के उपरांत ही उपरोक्त विवादित आराजियात का नामान्तरण तस्दीक फरमाया जावे।

दौराने बहस अभिभाषक रेस्पोडेन्टस ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों बाबत प्राप्त रिपोर्टस् तथा प्रस्तुत शपथ पत्रों पर गहनता से जांच कर अपीलाधीन आदेश पारित किया जाकर नामान्तकरण दर्ज किया गया है। अपीलांट्स की तलबी हेतु नियमानुसार नोटिस जारी कर भिजवाये तत्पश्चात विधिनुरूप अखबार साया करवाया गया। अपीलांट्स अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। यदि अपीलांट्स वास्तविक वारिस थे तो एक बार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के उपरांत अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित क्यों नहीं हुए। अपीलांट्स ने मृतकों के मृत्यु प्रमाण पत्र भी पेश नही किये जबकि रेस्पोडेन्ट्स ने मृतक काना पुत्र रामनाथ का मृत्यु प्रमाण पत्र मृत्यु दिनांक 10.11.1978 एवं मृतक सोमत्या पुत्र रामनाथ का मृत्यु प्रमाण पत्र मृत्यु दिनांक 03.05.1996 की प्रतियां पेश की हैं। अपीलांट्स का मृतक काना व सोमतिया की आराजी पर अधिकार था तो अधीनस्थ न्यायालय में दौराने जांच उपस्थित होकर पेश करना चाहिये था जो नही कर अपीलस् पेश की है। रेस्पोडेन्ट्स मृतक काना व सोमतिया के विधिक वारिसान एवं कायम मुकामान हैं। तथा अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के संबंध में विस्तृत जांच कर आदेश पारित किया है तथा पारित आदेश के आधार पर नामान्तकरण दर्ज किया गया है। अतः अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत अपीलस् खारिज फरमाई जावें।

सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर विचारण किया गया। न्याय हित में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षम्य किया जाता है।

हमने उभयपक्ष के कथन पर मनन किया सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली में संलग्न संयुक्त रिपोर्ट दिनांक 24.06.2022 में पटवारी हल्का पीपाखेड़ी एवं पटवारी हल्का गोरधनपुरा तहसील रामगंजमण्डी ने स्पष्ट अंकित किया है कि "चूंकि एक ही भूमि के लिए दो अलग अलग आवेदन प्राप्त होने से वारिसान का सत्यापन पटवार स्तर पर किया जाना सम्भव नही है। दोनो आवेदन पत्र से कौनसा आवेदक सत्य है वारिसान की जानकारी कर पाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। दोनों आवेदन पत्र में वारिसान में मृतक व्यक्ति के अलग अलग वारिसान होने से विरोधाभास हो रहा है।" ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश त्रुटिपूर्ण होना पाया जाता है।

अतः अपीलस् अपीलांटगण स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 2/2023 में पारित आदेश दिनांक 28–4–2023 तथा इसके आधार पर खोला जाकर तस्दीक किया गया ग्राम बारां का नामान्तकरण संख्या 1293 दिनांक 13–5–2023 निरस्त किये जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में मृतकों के वारिसान सक्षम न्यायालय से निर्धारित होने के उपरांत नये सिरे से नामान्तकरण दर्ज करें।

निर्णय आज दिनांक 16.12.24 को लिखाये जाकर खुले न्यायालय में सुनाये गये।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.02.06 11:04:13 IST
Reason: SelfAttested

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर,बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

जिला कलक्टर न्यायालय बारां (राज०)